(288)

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0-ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी क्रमांक R-172-II/13 सन् 2012-13

श्रीमती कांति कुमारी पत्नी श्री चन्द्रकिशोर रिछारिया निवासी बैनीगंज मुहल्ला, छतरपुर तह. व जिला छतरपुर (म0प्र0) निगरानीकर्ता

वनाम

1. श्रीमती नीलकमल पत्नी श्री मातादीन वर्मा निवासी कछ्याना मुहल्ला, वार्ड नम्बर-08, छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म0प्र0)
2. मध्य प्रदेश शासन

अनावेदकगण

-निगरानी प्रकरण-

यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्र0क्र0 249/निगरानी/अ-27/09-10 में पारित आदेश दिनांक 22.10.12 से असंतुष्ट होकर म0प्र0भू-रा0सं0 1959 (संशोधन अधिनियम 2011) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

D-0421723241-1-13

मान्यवर,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी याचिका माननीय के समक्ष प्रस्तुत करती है :-

1. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता ने न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील छतरपुर (जिन्हे आगे विचारण न्यायालय कहा जायेगा) के समक्ष निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकर्ता क्रमांक 01 के नाम से संयुक्त कृषि भूमि का खाता स्थित ग्राम गठेवरा की कास्त भूमि खसरा नम्बर 11 रकवा 1-939 हे0 में उभय पक्ष का अभिलिखित 1/2, 1/2 (हिस्सा आधा-आधा व हिस्सा बराबर) हिस्सानुसार बटवारा किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर प्रकरण क्रमांक 18/अ-27/08-09 दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण में गैर निगरानीकर्ता श्रीमती नीलकमल पत्नि मातादीन वर्मा निवासी छतरपुर में विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.10 को आपत्ति प्रस्तुत कर उक्त वर्णित भूमि में निगरानीकर्ता का 1/2 (एक बटा दो) न होना बताकर स्वयं का 2/3 (दो बटा तीन) हिस्सा होना बताया। तथा तदनुसार प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित होना बताकर बटवारा की कार्यवाही स्थगित किए जाने बावत् आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा गैर निगरानीकर्ता क्रमांक 01 द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का निराकरण अंतिम आदेश के साथ किए जाने का आदेश दिनांक 24.05.10 को किया गया।

क्रमशः-2

कान्ति रिछारिया

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–172–दो / 2013 जिला–छतरुपर

श्रीमती कांति कुमारी विरूद्ध श्रीमती नीलकमल व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 249 / निग. / अ–27 / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 22–10–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 18/03/19	